**कंपनियों पर श्रमिकों को बकाया भविष्य निधि राशि**

*136. **श्री अशोक नाथ वर्मा :** क्या श्रम मंत्री 2 अगस्त, 1985 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 1115 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन कंपनियों के जिम्मे श्रमिकों की धनराशि बकाया थी उनसे उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गयी है और इसके वसूल न करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं;

(ख) इस समय इन कंपनियों पर श्रमिकों की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) ऐसी कंपनियों के प्रबंधकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) :** (क) से (ग) एक विवरण राज्य सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

31.12.85 को संबंधित निधि प्रबंधकों की बकाया राशि 163.74 करोड़ रुपये थी जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :-

(रुपये करोड़ों में)

| | |
|---|---|
| (क) छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठान . . . . . | 64.40 |
| (ख) छूट प्राप्त प्रतिष्ठान . . . . . | 99.34 |

विशेष परिस्थितियों का सामना करने वाले प्रतिष्ठानों के तौर पर वर्गीकृत किए जाने पर उनका प्रभार 64.40 बकाया करोड़ रु० का ब्योरा निम्न प्रकार से है :-

(रुपये लाखों में)

| क्रमांक | बकाया राशियों का वर्गीकरण | 31-12-86 को बकाया देय राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | प्रतिष्ठानों की कामबंदी . . . . . | 468.13 |
| 2. | परिसमापनाधीन प्रतिष्ठान . . . . . | 384.86 |
| 3. | उन प्रतिष्ठानों के संबंध में बकाया राशि जिनमें न्यायालयों द्वारा वसूली पर रोक लगा दी है या पुनर्संरचना योजनाएं उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित पड़ी हैं . | 310.62 |
| 4. | जिन्हें राष्ट्रीय वस्त्र निगम/प्राधिकृत नियंत्रकों द्वारा प्रबंध ग्रहण कर लिया गया है उन यूनिटों के संबंध में प्रबंध ग्रहण से पूर्व तिथि की देय राशियां जिनमें दायित्वों को स्थिर कर दिया गया . . . . . | 570.46 |
| 5. | राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा यूनिटों का प्रबंध ग्रहण किए उन यूनिटों की प्रबंध ग्रहण से बाद की तिथि और राष्ट्रीयकरण से पूर्व तिथि की बकाया राशि . . . . . | 79.34 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा प्रबंध ग्रहण किए गए/सहायता प्रदान किए गए यूनिटों के संबंध में प्रबंध ग्रहण से पूर्व की तिथि की बकाया राशि . . . . . | 41.89 |
| 7. | भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा प्रबंध ग्रहण किये गये/सहायता प्रदान किए गए यूनिटों के संबंध में चालू देय राशियां . . . | 153.96 |
| 8. | रिसीवरों/अभिरक्षकों द्वारा चलाए जा रहे प्रतिष्ठान . . . | 618.40 |
| 9. | (1) से (8) तक का जोड़ . . . . . | 2645.86 |
| 10. | जिनके संबंध में प्रभावी उपाय किये जा सकते हैं उनके संबंध में बकाया राशि . . . . . | 3794.88 |
| | **कुल जोड़ :** | 6440.74 |

भविष्य निधि बकाया राशियों के एकत्रित होने में वृद्धि का एक कारण दोषी प्रतिष्ठानों से देय राशियों की वसूली के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के संगठन द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में दिए गए स्थगन आदेश है। इसके बावजूद भविष्य निधि बकाया देय राशि में कुल देश राशि की प्रतिशतता में निम्नसारणी के अनुसार बहुत कम वृद्धि हुई है :—

**I. छूट न प्राप्त**

| वर्ष | उत्तरोत्तर अंशदानों की कुल वसूली | कुल बकाया राशियां (करोड़ रु० में) | अंशदानों से बकाया की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 1983-84 . . . . | 4202.25 | 41.62 | 1.0% |
| 1984-85 . . . . | 4744.73 | 52.30 | 1.1% |
| 1985-86 . . . . | 5432.69 | 58.30 | 1.1% |

**II. छूट प्राप्त**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1983-84 . . . . | 6090.98 | 45.75 | 0.75% |
| 1984-85 . . . . | 6870.57 | 63.92 | 0.93% |
| 1985-86 . . . . | 7730.23 | 84.23 | 1.08% |

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बकाया राशियों की वसूली के लिये निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

| | | 1985-86 | 1986-87 (दिसम्बर 1986 तक) |
|---|---|---|---|
| (i) | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी किए गए वसूली प्रमाणपत्र . . . | 5584 | 4439 |
| (ii) | कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अधीन दायर किए गए अभियोजन मामले . . . . . | 5155 | 4687 |
| (iii) | कर्मचारियों की मजदूरी से कटौती किए गए कर्मचारी अंशदान के हिस्से की अदायगी न करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस प्राधिकारियों के पास दर्ज शिकायतें . . . | 514 | 419 |

इसके अतिरिक्त, भविष्य निधि देय राशि की देरी से अदायगी की जाने के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान 1.26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया ।

कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों को और हिदायत दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों की पगारों से कटौती किए गए यह पगारी अंशदान की अदायगी न करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन शिकायत दायर की जाए ।

**Appointment of envoys**

-137. SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many public men are at present working as envoys in foreign countries;

(b) how many retired officials are at present posted as envoys; and

(c) whether any guidelines are being followed in appointing such envoys?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Eight distinguished personages from public life have been appointed as Heads of Missions in foreign countries over the last five years. They have all since completed their assignments. One more person from public life, who has recently beeit nominated, will be taking charge *ot* his post by the end of this month.

(b) Eight retired officials are at present posted as envoys.

(e) All posts of Ambassadors and High Commissioners are IFS cadre posts and normally IFS officers of requisite seniority and experience are appointed by the Government against these posts. However, from time to time Government also appoints against particular posts individuals who have distinguished themselves in public service or other fields.